

कार्यालय नगर पालिका परिषद् सिवनी मालवा जिला नर्मदापुरम (म.प्र.)

E-mail: cmoseonimalwa@mpurban.gov.in कार्यालय दूरभाष 220249-07570, 220250

सिवनी मालवा दिनांक 03/11/2025



—: प्रथम ई-निविदा आमंत्रण सूचना :—

क्रमांक 4898 / न.पा. / 2025

एतद द्वारा सर्वसाधारण सूचित किया जाता है कि नगर पालिका परिषद् सिवनी मालवा स्वामित्व वार्ड क्र. 10 स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल मांगलिक भवन (जिस अवस्था में है उसी अवस्था/स्थिति में) 35 माह की अस्थाई लीज अवधि हेतु ऑनलाईन निविदा <https://www.mptenders.gov.in> पर आमंत्रित की जा रही है जिस पर दिनांक 03/11/2025 से 18/11/2025 तक निविदा प्रपत्र ऑनलाईन क्रय किये जा सकते हैं। निविदा में किसी भी प्रकार के संशोधन होने की स्थिति में संशोधन का प्रकाशन केवल वेबसाइट पर ही किया जावेगा, समाचार पत्र में किसी भी प्रकार की कोई विज्ञप्ति नहीं दी जावेगी।

क्र.	टेण्डर क्र.	स्थलों का विवरण/कार्य का विवरण	न्यूनतमदर वार्षिक दर	अमानत राशि	तकनीकी निविदा खोलने की तिथि	वित्तीय निविदा खोलने की तिथि
1	2025_UAD_460273_1	सरदार वल्लभ भाई पटेल मांगलिक भवन वार्ड क्र. 10	20,00,000/-	1 लाख	20/11/2025	21/11/2025

नोट :- अन्य जानकारी म.प्र. शासन के ई-निविदा के पोर्टल की वेबसाइट पर एवं विभाग की वेबसाइट WWW.mpurban.gov.in देखी जा सकती है एवं आवश्यक जानकारी एवं शर्तें नगर पालिका सिवनी मालवा की राजस्व शाखा में कार्यालय समय में देखी जा सकती है।

1. ऐसे व्यक्ति जो निकाय सि. मा. के बकायादार हैं अथवा पूर्व में दुकानों/अन्य संपत्ति/भवन का आवंटन एवं अनुबंध निष्पादन नहीं कराया है उनकी निविदा को निरस्त करने का अधिकार निकाय को रहेगा।
2. अनुबंध के समय अनुबंधित राशि में से शेष 75 प्रतिशत राशि की साल्वेंसी/एफ,डी,आर/बैंक गारंटी जमा करना अनिवार्य होगा।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
सिवनी मालवा
नगरपालिका परिषद्
सिवनी मालवा दिनांक 03/11/2025



1. संयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास नर्मदापुरम संभाग के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
2. परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण नर्मदापुरम के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
3. कलेक्टर कार्यालय नर्मदापुरम के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
4. वेब कंटेंट मैनेजर, संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल की ओर उक्त सूचना का प्रकाशन विभाग की वेबसाइट पर किये जाने हेतु प्रेषित।
5. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सिवनी मालवा के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
6. नगर पालिका परिषद् सिवनी मालवा के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
7. सम्पादक दैनिक समाचार की ओर एक दिवस सामाचार पत्र में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
सिवनी मालवा
नगरपालिका परिषद्
सिवनी मालवा दिनांक 03/11/2025

कार्यालय नगर पालिका परिषद सिवनी-मालवा जिला नर्मदापुरम (म.प्र.)

सरदार मांगलिक भवन नीलामी शर्त (वर्ष 2025-26)


संपत्ति का विवरण लीज पर दी जाने वाली सम्पत्ति सरदार मांगलिक भवन,पार्किंग, जैसी है जहां है। (As Is Where Is) स्थिति में उपलब्ध कराई जाएगी।


- म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 109 एवं उसके निर्मित अंतर्गत म.प्र. नगर पालिका (अचल व संशोधन अधिसूचना भोपाल दिनांक 28 मई 2023 के नियमों के अनुसार नगर पालिका द्वारा निर्मित सरदार मांगलिक मंगल भवन पार्किंग एवं लान सहित को 35 माह की अस्थाई लीज अवधि पर पट्टा (लीज) पर दिये जाने हेतु ई-निविदा।
- लीज अवधि कुल अवधि 35 माह प्रारंभ तिथि कार्यादेश निर्गम दिनांक से मानी जाएगी।
- सरदार मांगलिक मंगल भवन पार्किंग शासकीय न्यूनतम दर ई-निविदा 20,00,000/- अधिक होने पर मान्य किया जावेगा।
- योग्यता मापदंड (Eligibility Criteria) भारत का नागरिक संचालन हेतु सक्षम हो। पिछले 3 वर्षों में कोई गंभीर आपराधिक प्रकरण या निकाय से निष्कासन नहीं किया गया है।
- ई-निविदा प्रक्रिया निविदा केवल www.mptenders.gov.in पोर्टल के माध्यम से आमंत्रित की जाएगी। निविदाकार को पोर्टल पर पंजीकृत होना अनिवार्य है। निविदा के साथ मांगे गए दस्तावेज अनिवार्य रूप से अपलोड करने होंगे।
- आवश्यक दस्तावेज पैन कार्ड, आधार कार्ड / अनुभव प्रमाण पत्र (यदि उपलब्ध हो) शपथ पत्र आपराधिक प्रकरण नहीं होने, नियमों के पालन की सहमति इत्यादि का।
- नियम 5 अचल सम्पत्ति के अंतरण के लिय सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से 35 माह बाद ठेकेदार का कार्य संतुष्ट पूर्वक किये जाने पर अगामी 35 माह की अवधि के लिए प्राप्त दर 25 प्रतिशत वृद्धि कर उक्त टेण्डर/ठेके को बढ़ाया जा सकेगा।
- प्रतिभागी को निर्धारित EMD (Earnest Money Deposit) ऑनलाइन जमा करना होगा। सफल ई निविदाकार को कुल लीज राशि का 25% राशि 03 कार्य दिवस में जमा करना अनिवार्य होगा।
- अनुबंध निष्पादन चयनित लीजधारी के साथ ₹1000 के गैर-न्यायिक स्टाम्प पर अनुबंध किया जाएगा। अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन होने पर नगर पालिका द्वारा अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।
- नियंत्रणाधिकार नगर पालिका को निरीक्षण, नियंत्रण एवं दिशा-निर्देश जारी करने का पूरा अधिकार रहेगा। संपत्ति का दुरुपयोग, क्षति या अनुबंध शर्तों के उल्लंघन पर कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी।
- कोई भी व्यक्ति निर्धारित अमानत राशि 1,00,000/- रु. ई-निविदा में भाग ले सकता है। उच्चतम ई-निविदा लगने से ही सरदार मांगलिक मंगल भवन पार्किंग का आवंटन का हक नहीं बन जाता है। पट्टेधारी की ई-निविदा स्वीकृति/अस्वीकृत करने का अधिकार नगर पालिका परिषद में सुरक्षित होगा।
- उच्चतम ई-निविदा वाले व्यक्ति को सरदार मांगलिक मंगल भवन पार्किंग की ई-निविदा के उपरांत 03 दिवस के अंदर तुरंत बाद अमानत राशि छोड़कर 25 प्रतिशत राशि जमा कर 15 दिवस में अनुबंध निष्पादन कराना होगा। साथ ही अनुबंध के समय अनुबंधित राशि में से शेष 75 प्रतिशत राशि की साल्वेंसी / एफ, डी, आर / बैंक गारंटी आदि कोई भी एक जमा करनी होगी। अमानत राशि अनुबंधित समय सीमा समाप्त होने के बाद मंगल भवन नगर पालिका हेंड ओवर के उपरांत वापस की जावेगी।
- नगर पालिका अध्यक्ष/मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा 3 दिवस पूर्व सूचित करने पर कार्यक्रम हेतु निःशुल्क उपलब्ध कराना बंधनकारी होगा।
- निविदाकार को चेकलिस्ट में दर्शाये गये समस्त दस्तावेज के साथ निविदा प्रक्रिया में भाग लेना बंधनकारी होगा। किसी भी दस्तावेज की कमी होने पर संबंधित की निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा न ही किसी भी प्रकार की आपत्ति को मान्य किया जावेगा।
- मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पास यह अधिकार संरक्षित रहेगा की वह बिना कारण बताये निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत /निरस्त कर सकता है।
- किसी भी विवाद की स्थिति में कार्यालय का निर्णय निविदाकार को मान्य करना होगा।



16. निविदाकार को म.प्र. नगरपालिका अधिनियम 1961 एवं म.प्र. नगरपालिका (लेखा एवं वित्त) नियम 2018 के विभिन्न नियम एवं शर्तों का पालन करना होगा।
17. किसी भी प्रकार का संशोधन केवल वेबसाइट पर प्रकाशित किया जावेगा।
18. निविदा प्रपत्र में वांछित योग्यताधारी निविदादाता ही टेण्डर प्रक्रिया में भाग लेवे, वांछित प्रपत्र के अभाव प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
19. अपरिहार्य परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये टेण्डर प्रक्रिया में समयावधि को बढ़ाये जाने का अधिकार मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।
20. प्रत्येक निविदा के समय निविदाकार को अपलोड किये जा रहे दस्तावेज कम्प्यूटर प्रिंटर द्वारा साफ एवं पढ़ने योग्य तरीके से स्केन कर अपलोड करने होंगे, सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
21. पट्टाधारी को स्वयं के व्यय पर शासन द्वारा निर्धारित स्टाम्प शुल्क पर विधिवत सूचना पत्र उपरांत अनुबंध कर पंजीयन कराना होगा।
22. संपत्ति उपयोग की शर्तें संपत्ति का उपयोग केवल सामाजिक, सांस्कृतिक आदि सार्वजनिक कार्यक्रम हेतु किया जा सकेगा। किसी भी प्रकार के व्यवसायिक उप-लीज, अतिक्रमण, या गैर स्वीकृत उपयोग पर लीज रद्द की जा सकेगी।
23. आवंटित की मृत्यु या कोई दुर्घटना होने पर वैध उत्तराधिकारी के पक्ष में शर्तों की कंडिका 14 में उपबंधित शर्तों के अधीन वैध उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर खेडापति मांगलिक मंगल भवन का नामांतरण किया जा सकेगा।
24. पट्टाधारी द्वारा सरदार मांगलिक मंगल भवन पार्किंग के स्वरूप में किसी प्रकार का परिवर्तन अथवा संशोधन नहीं किया जावेगा। उसे अतिक्रमण मानकर नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 223 के अंतर्गत कार्यवाही कर हटाया जायेगा और हर्जा खर्चा आवंटित से वसूल किया जावेगा।
25. यदि सम्पत्ति को प्राकृतिक आपदा या दंगाग्रस्त भीड़ या अन्य किसी दुर्घटना जो मानव नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण क्षति होती है तो इसकी हुई क्षति को पट्टाधारी को ही वहन करना होगा। इसके लिए नगर पालिका किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगी।
26. सम्पत्ति के रखरखाव एवं आवश्यक मरम्मत पर होने वाला व्यय पट्टाधारी द्वारा वहन किया जावेगा जिसकी पूर्व स्वीकृति नगर पालिका अधिकारी से प्राप्त करना आवश्यक होगा।
27. आवंटित स्थल से अधिक भाग का उपयोग करने का अधिकार आवंटित को नहीं होगा।
28. रखरखाव और संचालन संपत्ति का नियमित रखरखाव, स्वच्छता, सुरक्षा आदि की जिम्मेदारी पूर्णतः लीजधारी की होगी। विद्युत/जल/अन्य यूटिलिटी खर्च भी लीजधारी को ही भुगतान करना होगा।
29. सरदार मांगलिक मंगल भवन पार्किंग में होने वाले विद्युत प्रवाह का भुगतान आवंटित को समय पर करना रहेगा।
30. सरदार मांगलिक मंगल भवन पार्किंग जिस प्रयोजन के लिए आवंटित किया जा रहा है उसी के लिए उपयोग किया जावेगा। अन्य किसी कार्य के लिए उपयोग में पाये जाने पर अनुबंध निरस्त कर दिया जावेगा।
31. समय समय पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी/ रा. निरीक्षक/उप निरीक्षक/सहा. राजस्व निरीक्षक मंगल भवन निरीक्षण कर सकते हैं। सरदार मांगलिक मंगल भवन पार्किंग में कोई प्रतिबंधित सामग्री प्राप्त होने पर सामग्री जब्त कर सकते हैं। एवं आवंटन निरस्त किया जाकर सरदार मांगलिक मंगल भवन पार्किंग खाली कराया जा सकेगा।
32. म.प्र.नगर पालिका अधिनियम एवं शासन, जिला प्रशासन, नगरीय प्रशासन के प्रावधानों के अंतर्गत आचार संहिता का पालन करना होगा व नगर पालिका सिवनी मालवा द्वारा जारी समय समय पर सभी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
33. ई-निविदा के प्रस्ताव को अमान्य किये जाने पर अग्रिम अमानत/धरोहर जमा राशि व अन्य जमा राशि निविदा प्रस्ताव को अविधिमान्य घोषित किये जाने के 90 दिनों के भीतर वापस की जाएगी किन्तु कोई ब्याज देय नहीं होगा।
34. ई-निविदा में भाग लेने वाले निविदादाता को भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। किसी भी दिवालिया अवयस्क मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत स्वीकार नहीं की जावेगी।

35. ई-निविदा और अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करने पर नगर पालिका सरदार मांगलिक मंगल भवन पार्किंग का आवंटन निरस्त कर सकेगी तथा सरदार मांगलिक मंगल भवन पार्किंग का ऐसी स्थिति में कब्जा हटा सकेगी।
36. भवन का मूल स्वरूप प्रभावित नहीं किया जा सकेगा।
37. शांति बनाए रखना किरायेदार की जिम्मेदारी होगी।
38. निविदाकार द्वारा सभी बिजली, पानी, मरम्मत, सफाई, इत्यादि की जिम्मेदारी वहन की जाएगी।
39. परिसर का उपयोग केवल वैधानिक एवं अनुबंध में वर्णित प्रयोजन हेतु किया जा सकेगा। अवैध गतिविधियों अथवा अनुबंध उल्लंघन की स्थिति में अनुबंध स्वतः समाप्त हो जाएगा।
40. निर्धारित समय अवधि में राशि जमा नहीं की जाने की स्थिति में ब्याज अधिरोपित करने का अधिकार निकाय को रहेगा।
41. किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा, अग्निकांड, चोरी अथवा अन्य हानि की स्थिति में सम्पत्ति सुरक्षा का उत्तरदायित्व ठेकेदार/संचालक का होगा।
42. पट्टाधारी को सरदार मांगलिक मंगल भवन पार्किंग की छत पर किसी प्रकार का अधिकार नहीं होगा।
43. शासकीय कार्य हेतु आवश्यकता होने पर भवन/परिषर निःशुल्क नगर पालिका को प्रदाय करना होगा।
44. ई-निविदा की प्रक्रिया में प्राप्त दरो को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का सम्पूर्ण अधिकार परिषद के पास संरक्षित रहेगा।
45. निविदाकार को सूचना दिनांक से 03 दिवस के भीतर प्रथम किश्त जमा करना होगी, निविदाकार को छठवे माह में दूसरी किश्त तथा 09 वे माह में तृतीय किश्त, 12 माह में आखरी किश्त में संपूर्ण राशि जमा करना अनिवार्य होगी।
46. सफल निविदाकार को दो लाख की बैंक गारंटी प्रस्तुत करना होगी।
47. ई-निविदा प्रक्रिया के तहत सम्पूर्ण अधिकार परिषद के पास होंगे जो निविदाकारों को मान्य करने होंगे।
48. मांगलिक भवन, पार्किंग, जिस स्थिति में दिया जावेगा उसी स्थिति में आवंटित से वापस लिया जावेगा।
49. नगर पालिका सिवनी मालवा के बकायादार ई-निविदा की प्रक्रिया में बिना NOC के भाग नहीं ले सकेगे।
50. किसी भी शर्त को जोड़ने एवं विलोपित करने का पूर्ण अधिकार मुख्य नगर पालिका अधिकारी को रहेगा।


 21/10/25
 मुख्य नगर पालिका अधिकारी
 मुख्य नगरपालिका अधिकारी
 नगर पालिका परिषद सि.मा.
 नगरपालिका परिषद
 जिला नर्मदापुरम
 सिवनी मालवा


 अध्यक्ष
 नगर पालिका परिषद सि.मा.
 नगर जिला नर्मदापुरम
 सिवनी मालवा

निविदा फॉर्म

नगर पालिका परिषद, सिवनी मालवा, जिला नर्मदापुरम (मध्यप्रदेश)

सरदार वल्लभ भाई पटेल मांगलिक भवन सिवनी मालवा हेतु नीलामी द्वारा अनुबंध की ई-निविदा

निविदा क्रमांक: _____ तिथि: ____ / ____ / 2025

निविदा का नाम: सरदार वल्लभ भाई पटेल मांगलिक भवन संचालन हेतु अनुबंध की ई-निविदा कायदेशि से 35 माह

1. निविदाकार का विवरण:

नाम / संस्था का नाम: _____

पता: _____

मोबाइल नंबर: _____

ईमेल आईडी: _____

2. संलग्न दस्तावेज (सभी स्वप्रमाणित):

1. गुमास्ता/पंजीकरण

3. स्थायी खाता संख्या (PAN कार्ड की प्रति)

PAN: _____

4. शपथ पत्र (Affidavit)

यह घोषणा कि निविदाकर्ता ब्लैक लिस्ट में नहीं है एवं समस्त जानकारी सत्य है।

5. संगठन विवरण /

6. एफ.डी.आर. शर्त अनुसार

जारी करने वाली बैंक: _____

दिनांक: _____

7. आयकर रिटर्न चालू वर्ष

वित्तीय वर्ष: _____

रिटर्न जमा तिथि: _____

8. वित्तीय बोली (अलग कवर में अपलोड की जाएगी)

आरक्षित मूल्य ₹ 20,00,000/- कुल बोली राशि: ₹ _____

9. 2 ब्लैक चेक (सुरक्षा हेतु)

10. कर्मचारियों स्टॉफ की संपूर्ण जानकारी आधार कार्ड सहित प्रस्तुत करना होगा।

11. घोषणा:

मैं/हम यह सत्यापित करते हैं कि उपरोक्त विवरण सही है और निविदा शर्तों को स्वीकार करते हैं।

निविदाकर्ता का नाम एवं हस्ताक्षर.....

तारीख: ____ / ____ / 2025 स्थान: _____

फोटो

3007 31/10/24
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
नगरपालिका परिषद
सिवनी मालवा